न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 36/24 GCMS NO 2024/54

1. पृथ्वीराज
2. बाबूलाल
3. मुनीराज पुत्र श्रीचंद जातियान मीना निवासीयान किराडी तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र रामदेव
2. रूमाली पत्नि इमरती
3. रूकमण पत्नि देशराज
4. रामप्यारी पत्नि मोती जातियान मीना निवासीयान किराडी तहसील सपोटर जिला करौली
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली

(अपील विरूद्व मु0नं0 33/20 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 12.3.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री शाकिर खान
अभिभाषक रैस्पो0 श्री रिषीराम मीना

दिनांक 28.3.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 12.3.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ख0न0 93,94,95,134 कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 4 विस्वा ग्राम किराडी तहसील सपोटरा मे स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुर्जगो ने आज से करीब 50 साल पहले आराजी का बाहमी बंटवारा कर रखा है। उसी अनुसार हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर फसल काश्त कर लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने दिनांक 23.10.20 को प्रतिवादीगण से बाहमी बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे खाता अलग कराने की कहा तो उनके द्वारा साफ इंकार कर दिया गया। इस पर वादीगण ने तहसीलदार के यहॉ उपस्थित होकर बंटवारा कर खाता अलग करने का निवेदन किया तो तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा। इसलिए वादी अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वाहमी बंटवारा अनुसार बंटवारा किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः विवादित आराजीयात कुल किता 4 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

15 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम किराडी मे वादी का कब्जा एवं बहामी बंटवारा अनुसार बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस प्रका की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन नही कर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादीगण द्वारा साक्ष्य मे पेश शपथ पत्रो मे अंकित इस तथ्य पर गौर नही किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी ख0न0 134,93,94,95 कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 4 विस्वा भूमि ग्राम किराडी मे स्थित है जिसमे वादीगण अपीलांट ने बाहमी बंटवारा के अनुसार ख0न0 93 मे से 5 बीघा 3 विस्वा , 95 मे से 2 बीघा , 134 मे से 9 विस्वा भूमि पर सदैव से कब्जा काश्त है तथा ख0न0 96 मे वादीगण के पिता के समय से चाह बनाकर उस पर कृष्ज्ञि कनेक्शन वादीगण के पिता के नाम है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि पूर्व मे बाहमी बंटवारा के अनुसार ख0न0 93 रकबा 5 बीघा 3 विस्वा , 95 मे से 2 बीघा एवं ख0न0 134 मे से 9 विस्वा भूमि पर वादीगण अपीलांट के उपयोग उपभोग मे आ रही है तथा ख0न0 95 मे कृषि कनेक्शन भी वादीगण/अपींलांट के पिता के नाम है तो अदालत मातहत को मौके पर कब्जे के अनुसार ही निर्णय एवं डिक्री बनाने चाहिए थे। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि दावे मे प्रतिवादीगण की तलबी होकर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हो चुके थे तथा वादी के दावे एवं साक्ष्य मे पेश किये गये शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजो के विरूद्व कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही थी इसलिए अधिनस्थ न्यायालय को उक्तानुसार ही अपना निर्णय एवं डिक्री पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली के अवलोकन के बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर नही हो सकी। जानकारी होने पर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन है कि बिलम्व अवधि को क्षमा किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर मौके एवं कब्जे के अनुसार निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी. बहस मे तर्क दिया कि वादीगण/अपीलांट द्वारा स्वयं ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण तामील जद मिल के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व दिनांक 19.9.23 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की साक्ष्य ली जाकर एवं वादीगण की वाद पत्र पर एक पक्षीय बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:50:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सुनी जाकर दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से उभयपक्ष की मौजूदगी मे बंटवारा स्कीम तैयार कर बंटवारा स्कीम चाही जाकर पत्रावली 30.4.24 नियत की गई। तहसीलदार द्वारा बंटवारा स्कीम अधिनस्थ न्यायालय मे भिजवाने से पूर्व ही अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील न्यायालय हाजा मे की गई है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय मे पत्रावली इंतजार बंटवारा स्कीम मे ही नियत थी। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि विरूद्व पेश की गई है। जो खारिज योग्य है। अतःअपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि ख0नं0 93,94,95,134 कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 4 विस्वा ग्राम किराडी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजीयात है। जो जमाबंदी सम्वत 2074–77 से स्पष्ट है। जिसका बाहमी बंटवारा पक्षकारान द्वारा लगभग 50 वर्ष पूर्व किया जाना दोनो पक्षो द्वारा स्वीकार किया है। चूकि अपीलांट/वादी अपने कब्ज़े एवं हिस्से अनुसार उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराना चाहते है। जिसमे लिए वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा साफ इंकार करने से अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारे के लिए वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात मे वादीगण को 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को 1/6 का पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार सपोटरा को 500/–रूपये की फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवारा स्कीम तैयार न्यायालय मे भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवारा किया गया है वह मौके एवं कब्जे के अनुसार नही है। अपीलांट को बंटवारे मे गलत जगह दी गई है जबकि अपीलांट का कब्जा दूसरी जगह पर पर है। इस प्रकार बंटवारा गलत रूप से किया गया है। मौके एवं कब्जे के अनुसार बंटवारा नही किया गया है। रेस्पो0 का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा यदि गलत किया है तो उसके द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। जो नही करवाकर सीधे ही अपील पेश की गई है। जो विधि विरूद्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत बंटवारे के बाद पत्र मे विवादित आराजीयात का मीटस एवं बाउन्डस के आधार पर एवं पक्षकारो की उपस्थित मे मौके पर कब्जे को देखा जाता है। जिससे की भविष्य मे पक्षकारो के मध्य विवाद उत्पन्न नही हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की एक पक्षीय साक्ष्य प्राप्त की जाकर बिना उभयपक्ष की मौके एंव कब्जे के बाबत सहमति लिये ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण केवल मात्र मौके पर कब्जे एवं मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तहसीलदार से कुरेजात प्राप्त की जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 33/2020 मे पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.3.24 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जाता है कि विवादित आराजीयात की उभयपक्षो की मौजूदगी मे कब्जे एवं मौके के अनुसार मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर कुरेजात प्राप्त की जाकर कुरेजात अनुसार निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के यहॉ दिनांक 05.05.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:30:29 IST
Reason: SelfAttested